FROM No.III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत सहायक कलक्टर (SDO) बायतु मुकाम ....

आईदान राम वगैरा बनाम भैराराम वगैरा

किस्म मुकदमा राजस्व आवेदन नं. 267/2020 सन् 2020

तारीख हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
14/09/2020	प्रार्थी/वादी/अपीलांट के वकील श्री कुम्भाराम चौधरी ने यह प्रार्थना पत्र/वाद/अपील धारा 111, 128 राजस्थान काश्तकारी/भू राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत पेश किया है। जो दर्ज रजिस्टर हो। विप्रार्थी /प्रतिवादी/रेस्पोडेंट जरिये नोटिस/सम्मन तलब होकर पत्रावली वास्ते जवाब दिनांक 20/10/2020 को पेश हो। [signature] सहायक कलक्टर (SDO) बायतु	
20/10/2020	प्रार्थीगण वकील उपस्थित। विप्रार्थीगण के नोटिस तामील शुदा प्राप्त जिसे शामिल पत्रावली किया गया। विप्रार्थीगण बावजुद तामील अनुपस्थित। जिनके विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाती है। प्रार्थीगण के अधिवक्ता की बहस सुनी गई। प्रार्थीगण के अधिवक्ता द्वारा बताया की प्रार्थीगण व विप्रार्थीगणो के खातेदारी ~~खेत~~ खेत सेढा-सढ आये हुए है। प्रार्थीगण व विप्रार्थीगणो के खेतों के मध्य जो खाळे व मार्ग आई हुई थी जो वर्तमान में आंधियों की वजह से बिखर गई है। जिसके प्रार्थी	

[signature] सहायक कलक्टर (SDO) बायतु

Signature Not Verified

Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2020.11.20 14:58:43 IST
Reason: SelfAttested

को अपने खातेदारी खेतो की सीमाओं का ज्ञान नही हो पा रहा है जिससे प्रार्थीगण व विप्रार्थीगणों के मध्य खेतो की सीमाओं को लेकर आपस मे तनाव बना रहता है प्रार्थीगण को अपने खेत की सीमाओं का ज्ञान करने हेतु नेपबंदी करवानी आवश्यक है इसलिए प्रार्थीगण का नेपबंदी आवेदन स्वीकार किया जाकर नेपबंदी आदेश किया जावे।

अत: प्रार्थीगण अधिवक्ता के निवेदन पर प्रार्थीगण का नेपबंदी आवेदन स्वीकार किया जाकर तहसीलदार बायतु को कमिश्नर नियुक्त किया ~~[struck]~~ जाता है व सम्बन्धित भू० अभिलेख निरीक्षक को सहायक कमिश्नर नियुक्त किया जाकर आदेश दिया जाता है कि आप स्वयं या सहायक कमिश्नर से प्रार्थीगण के खातेदारी खेतो की पक्की नेपबंदी मौके पर कमिश्नर शुल्क जमा करवाकर करें पालना रिपोर्ट प्राप्त होने पर शामिल पत्रावली हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो दाखिल ~~[struck]~~ दफ्तर हो।

[signature]

सहायक कलक्टर
(SDO) बायतु

Signature Not Verified

Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2020.11.20 14:58:43 IST
Reason: SelfAttested

राजस्थान–सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बायतु जिला बाड़मेर

क्रमांक / आवेदन / 2020 / 808 दिनांक :– 2?/10/2020

राजस्व आवेदन संख्या –267 / 2020

प्रार्थीगण **बनाम** **विप्रार्थीगण**

श्री आईदानराम पुत्र ताजाराम
वगैरा 4 जाति–जाट,
निवासी–रामासरिया, खींपर
तहसील–बायतु, जिला–बाड़मेर

श्री नेनाराम पुत्र हरचंदराम वगैरा 16,
निवासी–रामासरिया, खींपर
तहसील–बायतु, जिला–बाड़मेर

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

आदेश

प्रार्थीगण के खातेदारी खेत मौजा–रामासरिया, पटवार मण्डल–खींपर, तहसील–बायतु, जिला–बाड़मेर के खेत खसरा नम्बर 695 / 564 रकबा 4.7974 हैक्टेयर की भूमि का साधारण सीमाज्ञान करने में राजस्व पटवारी विफल रहें एवं सीमा को लेकर मौके पर तनाजा है। खातेदार को यह अधिकार है कि वह अपने खातेदारी भूमि का सीमाज्ञान / नेखमबंदी करा सकता है। लिहाजा प्रार्थीगण का आवेदन अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 स्वीकार किया जाता है एवं तहसीलदार बायतु को कमीशनर नियुक्त किया जाकर आदेश दिया जाता है कि कमिशनर स्वयं या सहायक कमिशनर से प्रार्थीगण के खातेदारी खेतों की पक्की नेखमबंदी मौके पर निर्धारित कमिशनर शुल्क 500 / – जमा कराकर करें तथा पालना रिपोर्ट पेश करें। अपेक्षित होने पर संबंधित थानाधिकारी से पुलिस इमदाद प्राप्त करने हेतु अधिकृत किया जाता हैं।

(विवेक व्यास)
उपखण्ड अधिकारी बायतु
दिनांक :– 2?/10/2020

सहायक कलक्टर (SDO) बायतु

क्रमांक / आवेदन / 2020 / 809–13

प्रतिलिपि :– निम्न को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है।

1. तहसीलदार, बायतु।
2. पटवारी हल्का, खींपर को भेजकर लेख है कि निर्धारित तारीख को मय रेकर्ड उपस्थित रहकर नेखमबंदी की कार्यवाही पूर्ण करावें।
3. प्रार्थीगण श्री आईदानराम पुत्र ताजाराम वगैरा 4।
4. विप्रार्थीगण श्री नेनाराम पुत्र हरचंदराम वगैरा 16।
5. थानाधिकारी, पुलिस थाना, बायतु।

उपखण्ड अधिकारी बायतु
2?/10/2020

Signature Not Verified

Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2020.11.20 14:58:43 IST
Reason: SelfAttested